कार्यालय :नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बल्केश्वर, आगरा।

Industrial Training Institute

ई–मेल / E-Mail ID- giti001@vppup.in बेवसाइट / Web Site- www.gitiagra.com

पत्रांक : स्था0 / का0आ0 / 2022 / 18 दिनांक : 10.01.2022

कार्यालय – आदेश

कोविड–19 के बढते संक्रमण के दृष्टिगत जनपद के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों(राजकीय / निजी) में प्रशिक्षण कार्य संचालन के सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र सं0 106 / कैम्प / निदेशक–2022 दिनांक 09.01.2022 के प्रति अनुपालनार्थ संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(आशीष दुबे)
नोडल अधिकारी / प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त प्रधानाचार्य / कार्यदेशक / अनुदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जनपद, आगरा।
2. समस्त सुरक्षा प्रभारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जनपद आगरा।
3. समस्त प्रधानाचार्य / प्रबन्धक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जनपद, आगरा।

(आशीष दुबे)
नोडल अधिकारी / प्रधानाचार्य

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक,
प्रशिक्षण एवं शिशिक्षु
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- 106/कैम्प/निदेशक-2022 दिनांक: 09 जनवरी 2022

विषय:- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (राजकीय/निजी) में प्रशिक्षण कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय स्तर से निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. कोविड-19 के लगातार बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 10 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 तक प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण का कार्य भौतिक रूप से बंद रहेगा। उक्त अवधि में प्रशिक्षण कार्य ऑनलाइन मोड में संम्पादित किया जाएगा। प्रशिक्षार्थीगण संस्थान में उपस्थित नहीं होंगे।
2. प्रधानाचार्य व समस्त कर्मचारी संस्थान में उपस्थित होकर संस्थान के प्रशिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करेंगे।
3. परीक्षायें, पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप, समस्त कोविड गाइडलाईन के अनुपालन के साथ सम्पादित की जायेंगी।
4. संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क, सोशल डिसटेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता तथा प्रतिदिन सेनिटाइजेशन इत्यादि की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाये।
5. कोविड-19 से सम्बंधित SOP (मानक सञ्चालन प्रक्रिया) तथा कोविड-19 से बचाव के लिये शासन व निदेशालय स्तर से पूर्व में निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का अनिवार्यता से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

कोविड-19 की रोकथाम के लिये, निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक (स्थापना) श्री आर० आर० यादव एवं मंडल स्तर पर प्रत्येक मंडल के संयुक्त निदेशक(प्रशि०/शिक्षु०) तथा जनपद स्तर पर जिले के नोडल प्रधानाचार्यों को तत्काल प्रभाव "नोडल अधिकारी" नामित किया जाता है जो उपरोक्त व्यवस्था को अपने कुशल पर्यवेक्षण में अनुपालन करना सुनिश्चित करायेंगे।

10/1/2022

9.1.22

(हरिकेश चौरसिया)
निदेशक

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश।
3. मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ०प्र० अलीगंज लखनऊ
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश।
6. ओमिनी नेट को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करने हेतु।

(हरिकेश चौरसिया)
निदेशक

Scanned with CamScanner